

राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन

क्रमांक- एफ.वी. 3 ()/निगो/निधि सहायता/24-25(प्रथम चरण)/2024/ 3984-10013 दिनांक-30-08-2024

जिला कलक्टर (समस्त) एवं अध्यक्ष,
जिला स्तरीय गोपालन समिति,
राजस्थान।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण की सहायता राशि हेतु समय-सारणी में परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26.07.2024 तथा निदेशालय का पत्रांक 9592-9625 दिनांक 23.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक दिशा-निर्देश अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण की सहायता राशि हेतु समय सारणी जारी की गई थी। जिलों में अतिवृष्टि एवं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम की क्रियान्विति के कारण जिलों द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर समय सारणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	संशोधित तिथि
1.	गौशालाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुति	26 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक	05 सितम्बर, 2024 तक
2.	कार्यालय जिला संयुक्त निदेशक, में प्राप्त त्रुटियुक्त आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि	07 अगस्त 2024 से 03 सितम्बर 2024 तक	07 अगस्त 2024 से 12 सितम्बर, 2024 तक
3.	संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा गौशाला को त्रुटि युक्त आवेदन संशोधन करने हेतु भेजने की अंतिम तिथि	30 अगस्त 2024 तक	09 सितम्बर 2024 तक
4.	संयुक्त भौतिक सत्यापन संयुक्त भौतिक सत्यापन (रिपोर्ट अपलोड)	27 अगस्त, 2024 से 20 सितम्बर, 2024 तक 05 सितम्बर 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक	27 अगस्त, 2024 से 27 सितम्बर, 2024 तक 05 सितम्बर 2024 से 07 अक्टूबर, 2024 तक

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक

क्रमांक- एफ.वी. 3 ()/निगो/निधि सहायता/24-25(प्रथम चरण)/2024/ 10014-10063 दिनांक-30-08-2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26.07.2024 में उल्लेखित प्रावधानों अन्तर्गत प्रथम चरण की कार्यवाही करवाते हुए उक्त कार्य नियमानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- समस्त जिला संयुक्त निदेशक, एवं सदर सचिव, जिला गोपालन समिति, राजस्थान विभाग (राजस्थान) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्देशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature valid

Digitally Signed by Sharni Sharma

Designation: निदेशक

Date: 2024.08.30 12:48:33 IST

Reason: Approval

निदेशक